

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Execution Application No. 23/2023  
In  
M.A. No. 33 / 2023  
In  
Original Application No. 75/2023  
(I.A. No. 645/2023)

**IN THE MATTER OF:**

JAISHREE BANSAL

... APPLICANT

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE  
CHANGE AND OTHERS

... RESPONDENT(S)

**INDEX**

<b><u>S.No.</u></b>	<b><u>Particulars</u></b>	<b><u>Pages</u></b>
1.	Additional submission over objections submitted on 20.11.2023	A-D
2.	<b>ANNEXURE-4</b> Documents, complaint copies and photographs regarding capturing our private land, sarkari chak road, sarkari nali with unprocessed mixed waste and GNN appointed companies destroying big trees are being attached for your reference.	1-62

Place: New Delhi

Dated:

Through

*Bansal*

APPLICANT

*K.M. Asad*

**KUNWAR MOHD ASAD**

**Counsel for the Applicant**

**K & CO Legals**  
Chamber- 501, District and Session Court,  
Raj Nagar, Ghaziabad- 201005  
Contact: 9990953833

E-Mail: km.asad@live.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Execution Application No. 23/2023

In

M.A. No. 33 / 2023

In

Original Application No. 75/2023

(I.A. No. 645/2023)

**IN THE MATTER OF:**

JAISHREE BANSAL

... APPLICANT

VERSUS

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE  
CHANGE AND OTHERS

... RESPONDENT(S)

**ADDITIONAL SUBMISSION W.R.T. OBJECTIONS SUBMITTED  
BY THE APPLICANT, JAISHREE BANSAL ON 20.11.2023,  
AGAINST ATR SUBMITTED BY THE DISTRICT HEALTH  
OFFICER, GHAZIABAD NAGAR NIGAM.**

In addition to objections filled on 20.11.2023, the Applicant by way of additional information application craves leave of this Hon'ble Tribunal to draw its kind attention to place on record certain new facts, as the matter is posted to 16.01.2024 for further directions, if found necessary:

1. That the continuous illegal dumping of unprocessed waste by Ghaziabad Nagar Nigam has been done in such a huge quantity that the garbage mountain has entered 150-200 square feet inside our private land by breaking our boundary wall and has captured our land. A complaint regarding the same has been filed in Jansunwai Portal, but has left unheard. Copy of complaint 40014023048094 dated 22.12.2023 with photographs attached for your reference on page 41-46.

2. That the leachates oozing out from the unprocessed mixed waste garbage mountain is continuously entering in our private land is getting accumulated over our land, resulting in destroying our private land's top soil, boundary wall. The leachates have destroyed our private land's 1500 square feet area (approx.). A complaint regarding the same has been filed in Jansunwai Portal, but has left unheard. Copy of complaint 40014023048080 dated 22.12.2023 with photographs attached for your reference on page 47-50.
  
3. That for the release of leachates accumulating over our private land, as the quantity of leachates was increasing on daily basis, we broke our brick boundary wall from certain parts. Now the leachates oozing out from Ghaziabad Nagar Nigam garbage is using our private land's 450 square feet area as drain and is getting accumulated outside along our 157 feet long brick boundary wall. The continuous leachates ejection and accumulation along our brick boundary wall is damaging our 14 feet height and 157 feet long brick boundary wall. Photographs attached for your reference on page 52-53.
  
4. That for complaining regarding the accumulation of garbage and leachates over our private land after damaging/ breaking our boundary wall, the applicant was threatened by government officials to get booked in false/ forged F.I.R. The same has been intimated to The Prime Minister Office, The Chief Minister Office Uttar Pradesh, The Chief Secretary Uttar Pradesh, Hon'ble National Green Tribunal, National Commission for Women, National Human Rights Commission, Office of the WHO Representative to India, Police Commissioner Ghaziabad, District Magistrate Ghaziabad and DCP Rural/ Line Ghaziabad through mail dated 26.12.2023 and registry post dated 27.12.2023. Copy of complaint along with attachments and registry post receipts are attached for your reference on page 1-51.

5. It is worth mentioning that the continuous dumping of unprocessed mixed waste in open by Ghaziabad Nagar Nigam is resulting in huge damage to the environment, birds and other animals and causing serious health hazards to the citizens.
6. That the illegal dumping is also destroying agriculture of local villagers. Ghaziabad Nagar Nigam is dumping garbage alongside of drain flowing backside of the land under question in huge mountain structure. The garbage often falls from top of the mountain into the drain line resulting in blocking the flow of drain and the drain water mixed with garbage leachates ooze into the farmer lands situated on the other side of the drain. Hence, the local villagers also resisted against the illegal dumping of Garbage on the questioned land. Some news articles, promissory note provided by Ghaziabad Nagar Nigam to local villagers and photographs related to their "protest" is attached for your reference on page 54-56.
7. That in addition to above would like to bring your attention over the sarkari chak road and sarkari nali being illegally taken under control and dumped Tons of unprocessed garbage over it in mountain form by Companies appointed by Ghaziabad Nagar Nigam for dumping unprocessed mixed waste. A complaint regarding the same was filed in CPGRAMS Portal on 29.09.2023. Copy of complaint MOCOP/E/2023/0024335 dated 29.09.2023 are attached for your reference on page 39-40.
8. That apart from illegal dumping activities of Ghaziabad Nagar Nigam, the crane operators working on the questioned land also keeps on destroying big trees like sheesham and others of surrounding areas. A complaint regarding the same has been filed in Jansunwai Portal. Copy of complaint 40014023046259 dated 06.12.2023 with photographs are attached for your reference on 57-62.

9. That the Applicant with folded hands, in the above noted facts and circumstances, prays that this Hon'ble Tribunal shall take strict action by imposing exemplary costs and penalty upon the Swasthya Adhikari, GNN for submitting false report before this Honourable Tribunal and he shall also be penalised for continuously doing the illegal activity of dumping waste (against the prescribed rules and regulations) and harming the environment adversely.

It is therefore, in the foregoing circumstances, most respectfully prayed that stay upon the dumping of waste at site be granted, as prayed in I.A. No. 645 of 2023 and removal of unprocessed mixed waste dumped inside our private land and compensation for refabricating our boundary wall and any other appropriate directions may kindly be passed in favour of Applicant and against Ghaziabad Nagar Nigam, in the interest of justice.

Place: New Delhi

Dated:

APPLICANT

(JAISHREE BANSAL)

Through

**KUNWAR MOHD ASAD**

**Counsel for the Applicant**

**K & CO Legals**

Chamber- 501, District and Session Court,  
Raj Nagar, Ghaziabad- 201005

Contact: 9990953833

E-Mail: km.asad@live.com

---

**Subject: Fw: Against illegal dumping of unprocessed mixed waste at Bhikkanpur village, Ghaziabad 201003**

From: jaishree bansal<jaishree\_br@rediffmail.com> on Wed, 27 Dec 2023 11:08:30

To: "Judicial-ngt"<judicial-ngt@gov.in>

Cc: "csup"<csup@nic.in>, <admn.ngt@nic.in>

---

**2 attachment(s)** - attachment.pdf (9.25MB) , Complaint\_Letter\_dated\_26.12.2023.pdf (1.60MB)

---

Sir,

Please find the attachments. This is for your information and record please **in the Matter I.A. 645 in E.A. 23/2023** listed before the Honorable Tribunal on 16.01.2024.

Regards,

JAISHREE BANSAL

Complainant under Matter I.A. 645 in E.A. 23/2023 in M.A. 33/2023 in O.A. 75/2023

R/O: R-4/37, RAJ NAGAR, GHAZIABAD, U.P. 201002

(M): +91-9999805616

Email: [jaishree\\_br@rediffmail.com](mailto:jaishree_br@rediffmail.com)

From: "jaishree bansal"<jaishree\_br@rediffmail.com>

Sent: Tue, 26 Dec 2023 18:19:12

To: "cp-pol.gz@up.gov.in"<cp-pol.gz@up.gov.in>

Cc: "narendramodi1234"<narendramodi1234@gmail.com>, <connect@mygov.nic.in>, "cmup"

<cmup@nic.in>, "complaintcell-ncw@nic.in"<complaintcell-ncw@nic.in>, "sg.nhrc@nic.in"

<sg.nhrc@nic.in>, "wrindia@who.int"<wrindia@who.int>, "dmgha"<dmgha@nic.in>, "dcp-rural.gz@up.gov.in"<dcp-

rural.gz@up.gov.in>

Subject: Against illegal dumping of unprocessed mixed waste at Bhikkanpur village, Ghaziabad 201003

To: Police Commissioner, Ghaziabad

Sir,

Please find my complaint dated 26.12.2023 along with the proofs attached in attachment for your information and necessary onward action.

Regards,

JAISHREE BANSAL

R-4/37, Raj Nagar, Ghaziabad 201002

(M): +91-9999805616/ 8178560452

CC:

PMO, India

CM, UP, India

National Commission for Women, India

National Human Rights Commission, India

Office of the WHO Representative to India

District Magistrate, Ghaziabad, U.P., India

DCP Rural/ Line, Ghaziabad, U.P., India

---

जयश्री बन्सल

R-5/37, राज नगर, गाजियाबाद

सेवा में,

पुलिस आयुक्त

जिला गाजियाबाद

विषय : अवैध मिक्स ठोस अपशिष्ट एक्स्त्रीकरण, ग्राम  
भिवकनपुर पाईप लाइन रोड

महोदय,

कृपया पत्र के साथ संलग्न डॉ मिथिलेश कुमार सिंह,  
शहर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, गाजियाबाद के द्वारा  
शपथ पत्र के साथ मैसर्स जिरोन इन्जीन प्रो लिमिटेड एवं मैसर्स  
जे.एस. इन्वायर्स प्रो लिमिटेड ने राष्ट्रीय दूरित अधिकरण (NGT)  
के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट्स दिनांक 14.03.2023 तथा दिनांक  
05.10.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें  
इन लोगों के द्वारा ग्राम भिवकनपुर पाईप लाइन रोड पर स्थित  
डंपिंग आउट कि क्षमता माह सितम्बर 2022 में पूर्ण होने के कारण  
उक्त भूमि पर कूड़ा एक्स्त्रीकरण का कार्य पूर्णरूप से बन्द कर  
दिया गया है का उल्लेख किया गया है।

परन्तु इस स्थान पर अवैध रूप से लगातार मिक्स ठोस  
अपशिष्ट बिना प्रोसेसिंग के एक्स्त्रीकरण चालू है। इस सन्दर्भ में  
कुछ चित्र संलग्न हैं।

इस स्थान पर मौजूद सरकारी चक रोड और सरकारी नाली भी  
अवैध रूप से चल रहे मिक्स ठोस अपशिष्ट के एक्स्त्रीकरण के  
लिए मैसर्स जे.एस. इन्वायर्स प्रो लिमिटेड एवं मैसर्स जिरोन इन्जी.  
प्रो लिमिटेड ने अवैध रूप से कब्जा ली है। इस सन्दर्भ में कुछ  
आईजीआरएस पोर्टल CPGRAMS में की गयी शिकायत संलग्न है  
[MOCOP/E/2023/0024335 dated 29.09.2023]

लैस अपरीष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत नियमों का पूर्णरूप से उल्लंघन किया जा रहा है।

जमीन की क्षमता तो माह सितम्बर 2022 में ही पूर्ण हो चुकी थी किन्तु क्षमता से अधिक अवैध स्फुटनीकरण करने के कारण शाजीपुर जैसा पहाड़ बन चुका है और पहाड़ खिसक कर मेरी निजी भूमि पर स्थित भवन की छतार दीवारों को क्षतिग्रस्त कर अन्दर आ चुका है। इस संदर्भ में कुछ चित्र एवं IGRS शिकायत संलग्न है। [40014023048094 दिनांक 22.12.2023]

इस कुड़े से निकलता गंदा पदार्थ उचित निकासी ना होने के कारण हमारी जमीन पर स्फुटनी हो रहा है जिसकी वजह से मेरी निजी भूमि की मिट्टी भी खराब हो चुकी है तथा ईंट की सीमा दीवार भी नष्ट हो चुकी है। इस संदर्भ में कुछ चित्र एवं IGRS शिकायत संलग्न है। [40014023048080 दिनांक 22.12.2023]

आपको अवगत करना चाहती हूँ कि जमीन की क्षमता पूर्ण होने के कारण नया कूड़ा मेरी निजी भूमि में स्फुटनी हो रहा है प्रतिदिन इस अवैध रूप में स्फुटनी किये जा रहे कूड़े का कब्जा हमारी जमीन पर बढ़ता जा रहा है। जब नया कूड़ा डालने को मना किया तो इन लोगों ने मुझ पर दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा करने की धमकी देने लगे और अपने पद का दबाव दिखाने लगे।

स्वास्थ्य अधिकारी और यह दोनों कम्पनीज के लोग सरकार से अवैध मुनाफा कमाने की नीयत से यह लोग हम पर दबाव बना रहे हैं और झूठे मुकदमों में फसाने की धमकी दे रहे हैं। और लगातार वहां पर अवैध रूप से कूड़ा डाला जा रहा है।

आपको यह भी अवगत करना चाहती हूँ कि इस ~~सर्व~~ अवैध रूप से डंपिंग का मामला पहले से NGA में चल रहा है जिसकी प्रकरण संख्या 75/2023 है। जिसमें उत्तर प्रदेश चीफ सेक्टर को भी सम्मन गरा है और नगर आयुक्त गाजियाबाद को भी तलब किया गया है। जिसकी अगली तिथी 16.01.2024 निर्धारित है।

निम्नलिखित समस्याओं के बारे में बार बार अधिकारियों को लिखित में सूचित करने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। वल्की यह सारा प्रतिकरण अवैध रूप से निरंतर चालू है।

अतः आपसे अनुरोध है इस गैर कानूनी कार्य को बंद करवाने के संदर्भ तथा गैर कानूनी कार्य से जुड़े अधिकारियों के अपने पद का दुरुपयोग करने के संदर्भ में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही कि ये जाने हेतु निर्देश देने का कष्ट करें।

दिनांक : 26.12.2023

प्रार्थिनी

Gansal  
जयश्री वन्मल

प्रतिलिपि -

1. प्रधानमन्त्री भारत
2. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, भारत
3. राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत
4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत
5. विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत
6. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद, भारत
7. पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) गाजियाबाद, भारत

को  
सूचनार्थ  
स्व  
आवश्यक  
कार्यवाही  
हेतु।

संलग्न दस्तावेज : 46 पन्ने

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

OA No. 75/2023

**IN THE MATTER OF:**

Jayshree Bansal

... Petitioner

Versus

State of UP &amp; Others

...Respondents

**INDEX**

<b>S. No.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE No.</b>
<b>1.</b>	Action taken Report	1-3
<b>2.</b>	<b><u>ANNEXURE R-1</u></b> Departmental ATR by the District Health Officer	4
<b>3.</b>	<b><u>ANNEXURE R-2</u></b> Minutes of the 9 <sup>th</sup> Meeting dated 10.12.2022 of the Swatchh Bharat Mission regarding Solid Waste Management	5-8
<b>4.</b>	<b><u>ANNEXURE R-3</u></b> Detailed Project Report For "Scientific Dumpsite Land Reclamation through Bio-mining and Resource Recovery at Ghaziabad City" Under Ghaziabad Nagar Nigam	9-139

**Municipal Commissioner***Through Counsel*
**(VIBHAV MISHRA)**

**Ch:** 221, C.K. Daphtary Block, Tilak Lane,  
Supreme Court of India, New Delhi-110001

**(M):** 9473565666/9811828487**(e):** vibhavmishra@outlook.in**Date:** 14.03.2023**Place:** New Delhi

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

OA No. 75/2023

**IN THE MATTER OF:**

Jayshree Bansal

... Petitioner

Versus

State of UP &amp; Others

...Respondents

**ACTION TAKEN REPORT****MOST RESPECTFULLY SHOWETH:**

1. That the above captioned matter was listed before this Hon'ble Tribunal on 10.02.2023, wherein this Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following order:

*"...Dumping can be only of residual part after processing. The photographs suggest that unprocessed waste is being dumped which needs to be verified by the Ghaziabad Nagar Nigam and remedial action taken. Ghaziabad Nagar Nigam may give an action taken report to this Tribunal on or before 15.03.2023 by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF with factual status of area of land occupied, quantity of waste already deposited (legacy waste) at the site, current quantity of waste being dumped per day, status of waste processing facility and authorization under the Rules. If found necessary, the report may be placed before the bench for further directions.*

*Subject to above directions, the application is disposed of.*

*Copy of this order be forwarded to Ghaziabad Nagar Nigam by email for compliance. The applicant may serve a copy of application on Ghaziabad Nagar Nigam and file an affidavit of service within one week.*

2. That pursuant to the above order, the District Health Officer (Nagar Swasthya Adhikaari) of the Ghaziabad Nagar Nigam submitted a report to the Municipal Commissioner Ghaziabad, for filing and appraising the accompanying above to the Hon'ble Tribunal for the works carried out and Detailed Plan of Action, which have been taken and is intended to be taken in coming months to remedy the disposal of Waste in Ghaziabad.
3. That the departmental ATR by the District Health Officer is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-1**.
4. That the minutes of the 9<sup>th</sup> Meeting dated 10.12.2022 of the Swatchh Bharat Mission regarding Solid Waste Management wherein which, Agenda Note-3 for the treatment of Legacy Waste of Ghaziabad, Aligarh and Ayodhya is annexed herewith and marked as **ANNEXURE R-2**.
5. That the "Detailed Project Report For "Scientific Dumpsite Land Reclamation through Bio-mining and Resource Recovery at Ghaziabad City" Under Ghaziabad Nagar Nigam"

(Edn December 2022) is annexed herewith and marked as

**ANNEXURE R-3.**

6. That the Municipal Corporation, Ghaziabad is tediously working round the clock for the disposal of the legacy waste and making an attempt to remedy the issue of pollution as soon as possible and committed to make Ghaziabad clean and green.

**Municipal Commissioner**

*Through Counsel*



**(VIBHAV MISHRA)**

**Ch:** 221, C.K. Daphtary Block, Tilak Lane,  
Supreme Court of India, New Delhi-110001

**(M):** 9473565666/9811828487

**(e):** vibhavamishra@outlook.in

**Date:** 14.03.2023

**Place:** New Delhi

अपर नगर आयुक्त / वरिष्ठ 0 प्र 0 स्वा 0 महोदय

कृपया नगर आयुक्त महोदय के कार्यालय से प्राप्त पत्रांक:202/एनजीटी/2022-23 दिनांक 20.02.2023 जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष योजित ओ0ए0 सं0 75/2023 जयश्री बंसल बनाम मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट, फोरेस्ट एवं क्लाइमेट चेंज व अन्य जिसमें वाद का सम्बन्ध ग्राम जगजीवनपुर परगना जलालाबाद तहसील एवं जनपद गाजियाबाद की भूमि पर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सॉलिड वेस्ट डम्प किये जाने पर तथा उससे उत्सर्जित जहरीली गैस के कारण वादी की भूमि पर प्रदूषित होने के सम्बन्ध में योजित की गयी है। मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 10.02.2023 को उक्त प्रकरण पर सुनवाई करते हुये निम्नलिखित निर्देशो के साथ निस्तारित कर आदेश पारित किये गये है। जिसके क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

The Photographs suggest that unprocessed waste is being dumped which needs to be verified by the GNN and remedial action taken. GNN may give an action taken report (ATR) to this Tribunal on or before 15-03-2023 by e-mail at [judicialngt@gov.in](mailto:judicialngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and no in the form of image PDF with factual status of area of land occupied, quantity of waste already deposited (legacy Waste) at the site, current quantity of waste being dumped per day, status of waste processing facility and authorization under the Rules. If found necessary, the report may be placed before the bench for further directions.

उपरोक्त सम्बन्ध में विभागीय ATR निम्नवत है-

उक्त भूमि लगभग 7.25 एकड़ निजी कास्तकार की भूमि है, जिस पर वर्ष 2021-22 तक नगर निगम क्षेत्र से प्राप्त मिक्स टोस अपशिष्ट का निस्तारण हेतु एकत्रीकरण कर प्रोसेसिंग किया जा रहा था, परन्तु प्रोसेसिंग की क्षमता कम होने के कारण उक्त भूमि पर नगरीय टोस अपशिष्ट अधिक एकत्रित हो गया। माह सितम्बर 2022 से उक्त भूमि पर कूड़ा एकत्रीकरण का कार्य पूर्णरूप से बन्द कर दिया गया है तथा उपर्युक्त एकत्रित टोस अपशिष्ट को लिगेसी वेस्ट की श्रेणी में रखते हुये इसकी डी0पी0आर0 तैयार करके शासन से बेटिंग के उपरान्त बायो-रेमेडिएशन के कार्य हेतु RFP तैयार कर ली गयी है। उक्त भूमि पर डी0पी0आर0 के अनुसार कुल लिगेसी वेस्ट की मात्रा-329936 एम0टी0 है। निविदा का कार्य प्रक्रिया में है। अगले 18-20 माह में उक्त कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

  
नगर स्वास्थ्य अधिकारी  
नगर निगम गाजियाबाद

शासन के पत्र संख्या-5698(1)/नौ-5-2022-172सा/2019 दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 1.0 के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन मद के अन्तर्गत अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तकनीकी समिति की नवम् बैठक दिनांक 10.12.2022 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

उपस्थिति:-बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण:-

- 1- श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- श्रीमती नेहा शर्मा, राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, उ0प्र0।
- 3- श्री संजीव गुप्ता, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ0प्र0।
- 4- श्री अखिल सिंह, सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- श्री ए0के0 गुप्ता, अपर निदेशक, आर0सी0यू0ई0एस0, लखनऊ।
- 6- श्री नवीन गुप्ता, निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- डॉ0 सुनील कुमार यादव, उप निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, उ0प्र0।
- 8- डॉ0 राजीव नारायण, उप निदेशक, आर0सी0यू0ई0एस0, लखनऊ।
- 9- श्री कमल सिंह, महाप्रबन्धक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 10- श्री गुरु प्रसाद पाण्डेय, सहायक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, उ0प्र0।
- 11- श्री विकास रस्तोगी, के0पी0एम0जी0, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, उ0प्र0।
- 12- श्री विपिन पटेल, मण्डल कार्यक्रम प्रबन्धक, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, उ0प्र0।

सर्वप्रथम सहायक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय द्वारा समिति के समक्ष गत बैठक दिनांक 01.11.2022 में लिए गए निर्णयों के अनुपालन आख्या के विषयगत समिति को प्रगति से अवगत कराया गया।

1. 12 नगरीय निकायों यथा-नगर निगम लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ, नगर पालिका परिषद गंगाघाट, अकबरपुर (अम्बेडकरनगर) हरदोई, लखीमपुर-खीरी, फर्रुखाबाद, चन्दौसी (सम्मल), सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर), गोण्डा एवं नगर पंचायत मलिहाबाद (लखनऊ) में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के विषयगत प्रस्ताव।  
उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा0 समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, जिस पर मा0 समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। अग्रेतर लखनऊ नगर निगम के स्वयं के अनुरोध व अन्य नगर पालिका परिषदों व नगर पंचायत के टेण्डर की कार्यवाही हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्डडी0एस0 को निर्देशित किया गया है। नगर निगम मेरठ को स्वयं टेण्डर प्रकाशन का कार्य किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये व नगर निगम प्रयागराज द्वारा अनुरोधित VGF धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही की गयी।
2. 31 नवगठित नगर पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के कार्यों यथा-कूड़े के कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन, मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के अधिष्ठापन, ट्विन बिन डस्टबिन एवं प्रचार-प्रसार हेतु वित्त पोषित किये जाने का प्रस्ताव।  
31 नवगठित नगर पंचायतों को उपरोक्त कार्यों हेतु वित्त पोषित किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। अग्रेतर मिशन निदेशालय द्वारा पृथक-पृथक भुगतान आदेशों के माध्यम से निकायों को वित्त पोषित किया गया है।
3. 61 सीमा विस्तारित क्षेत्रों की निकायों को कूड़े के कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन के क्रय हेतु वित्त पोषित किये जाने का प्रस्ताव।

- उपरोक्त 61 सीमा विस्तारित क्षेत्रों की निकायों को उक्त कार्य हेतु वित्त पोषित किये जाने के प्रस्ताव मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। अग्रेतर मिशन निदेशालय द्वारा भुगतान आदेश के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। निकायों द्वारा क्रयदारी प्रक्रियाधीन है।
4. **05 नगरीय निकायों द्वारा कूड़े के कलेक्शन एवं ट्रांसपोर्टेशन के क्रय हेतु प्रेषित प्रस्ताव का अनुमोदन—**  
उपरोक्त प्रस्तावों पर मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। नगर निगम बरेली के सम्बन्ध में अतिरिक्त धनराशि का सीमा आवंटन मिशन निदेशालय के पत्र संख्या-पी0एम0यू0/6929/427(12)/2022 दिनांक 06 दिसम्बर, 2022 द्वारा कर दिया गया है।
5. **226 नगरीय निकायों में वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट के अधिष्ठापन हेतु वित्त पोषित किये जाने का प्रस्ताव।**  
226 नगरीय निकायों में वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लान्ट के अधिष्ठापन हेतु वित्त पोषित किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। अग्रेतर निकायों से उपयुक्त भूमि की सूचना प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है एवं अग्रेतर निकायों द्वारा भूमि उपलब्धता की सूचना उपरान्त आर0सी0यू0ई0एस0 को 10 कार्यदिवसों में मानकीकृत ड्राइंग एवं डिजाइन तैयार कर मिशन निदेशालय को प्रेषित किये जाने के भी निर्देश प्रदान किये गये।

समिति द्वारा उक्त अनुपालन आख्या का संज्ञान लिया गया। तत्पश्चात् बिन्दुवार प्राप्त प्रस्तावों पर विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये गये।

#### एजेन्डा नोट-1

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 1.0 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों पर राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त मिशन निदेशालय स्तर से ही अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव।

मा0 समिति के समक्ष संज्ञान में लाया जाना है कि स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय 1.0 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के प्रस्तावों पर गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त मा0 राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। मा0 समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किये जाने के उपरान्त उन प्रस्तावों को पुनः राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता रहा है, जिससे अनावश्यक प्रस्तावों के वित्त पोषण एवं अग्रेतर कार्यवाही किये जाने में अत्यधिक समय व्यतीत होता है एवं समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं हो पाते। अतः मा0 राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त प्रस्तावों को गतिशील बनाये जाने एवं समयावधि में कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु मिशन निदेशालय स्तर से ही अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मा0 समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि निकायों अथवा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित प्रस्ताव को 15 दिवसों के भीतर प्रत्येक दशा में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृत कराया जाय।

#### एजेन्डा नोट-2

**04 नगरीय निकायों यथा-नगर पालिका परिषद पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर, मंझनपुर, बेल्ला प्रतापगढ़ व शिकोहाबाद में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान्ट के अधिष्ठापन हेतु कार्यदायी संस्था सी0एण्डडी0एस0 द्वारा तैयार प्राक्कलन पर अनुमोदन का प्रस्ताव।**

सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम के पत्र संख्या-240/निदे0कै सा0वे0मै0/15 दिनांक 09.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय, लखनऊ के पत्र संख्या पी0एम0यू0/6129/429(15)/2019 दिनांक 15.07.2022 द्वारा 09 नगरीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु 9 निकायों यथा पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (चन्दौली), मंझनपुर (कौशाम्बी), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), बेल्ला प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़), देवबन्द (सहारनपुर), भरवारी (कौशाम्बी), महोबा, अकबरपुर

(अम्बेडकरनगर) एवं हाटा (कुशीनगर) में निकाय 331 उपलब्ध भूमि करायी गयी। भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में सम्मिलित आख्या के उपरान्त प्लान्ट के अधिष्ठापन हेतु प्राक्कलन विरचन के निर्देश प्राप्त हुए थे, जिनमें से पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर (चन्दौली), मंझनपुर (कौशाम्बी), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) एवं बेल्ला प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़) के प्राक्कलन गठित करके प्रेषित किया गया था किन्तु दिनांक 02.11.2022 को आहूत राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक में उक्त 4 निकायों के प्राप्त प्रस्तावों को निरस्त करते हुए निर्देशित किया गया था कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्लान्ट के सिविल निर्माण के साथ-साथ सूखे एवं गीले कूड़े का अलग-अलग निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति से कराया जाय। तदनुसार सी०एण्डडी०एस० द्वारा उपरोक्त 4 निकायों की डी०पी०आर० उपरोक्त निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत की गयी है, जिसका विवरण निम्न तालिका में अंकित है:-

(धनराशि ₹० लाख में)

क्र०सं०	जनपद	नगरीय निकाय का नाम	सी०एण्ड डी०एस० द्वारा गठित प्रारम्भिक आगणन की लागत (जी०एस०टी०, लेबरसेस एवं सेन्टेज सहित)	आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ द्वारा परीक्षणोपरान्त लागत (जी०एस०टी०, लेबरसेस एवं सेन्टेज सहित)
1	चन्दौली	पं० दीनदयाल उपाध्याय	865.40	822.23
2	कौशाम्बी	मंझनपुर (न०पा०परि०)	848.38	807.29
3	प्रतापगढ़	बेला प्रतापगढ़ (न०पा०परि०)	1029.07	828.67
4	फिरोजाबाद	शिकोहाबाद(न०पा०परि०)	1053.59	869.10
कुल योग			<b>3796.44</b>	<b>3327.29</b>

अतः उपरोक्त निकायों यथा पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर (चन्दौली), मंझनपुर, (कौशाम्बी), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) एवं बेल्ला प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़) में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अधिष्ठापन हेतु सिविल कार्यों के लिये गठित प्राक्कलन आर०सी०यू०ई०एस० से परीक्षणोपरान्त कुल लागत ₹० 3327.29 लाख (जी०एस०टी०, लेबरसेस एवं सेन्टेज सहित) अनुमोदन हेतु प्रस्तावों पर समिति के समक्ष विचार/निर्णय हेतु निवेदित है।

मा० समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों पर अनुमति प्रदान की गयी एवं अग्रेतर राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये व भूमि उपलब्धता के विषयगत मा० मुख्य सचिव महोदय के समक्ष जिलाधिकारियों से संवाद किये जाने के भी निर्देश दिये गये।

### एजेण्डा नोट-3

6 नगरीय निकायों यथा-नगर निगम गाजियाबाद, अलीगढ़, अयोध्या व नगर पालिका परिषद जौनपुर, सुलतानपुर व दादरी में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के विषयगत प्रस्ताव।

लिगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु उपरोक्त निकायों द्वारा थर्ड पार्टी सर्वे के आधार पर डी०पी०आर० तैयार कर प्रेषित किया गया है। प्राप्त प्रस्तावों के पुनरीक्षण (Vetting) का कार्य रिसोर्स सेन्टर आर०सी०यू०ई०एस०, लखनऊ द्वारा किया गया है। प्राप्त डी०पी०आर० एवं वेटिंग उपरान्त अनुमानित लागत का विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	निकाय का नाम	लिगेसी वेस्ट की मात्रा (टन में)	डी०पी०आर० की अनुमानित लागत धनराशि (₹० में)	आर०सी०यू०ई०एस० द्वारा वेटिंग उपरान्त लागत धनराशि (₹० में)
1	नगर निगम गाजियाबाद	269000	9,11,00,000.00	13,41,28,013.00
2	नगर निगम अलीगढ़	447912	20,48,55,186.00	20,48,55,186.00
3	नगर निगम अयोध्या	51700	2,29,54,804.44	2,68,83,755.00

4	नगर पालिका परिषद जौनपुर	74869	4,30,44,088.00	4,30,44,088.00
5	नगर पालिका परिषद सुलतानपुर	51237	2,68,68,025	2,68,68,444.00
6	नगर पालिका परिषद दादरी	75000	69,01,000.00	1,52,13,073.00
कुल योग		969718	39,57,23,103.44	45,09,92,559.00

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव मा0 समिति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया।

मा0 समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्तावों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गयी कि लिगेसी वेस्ट की मात्रा का आगणन सेटेलाइट इमेजनरी, कन्टूर सर्वे एवं वेडिंग मे से, जो भी कम हो, के माध्यम से सुनिश्चित किया जाये एवं आर0एफ0पी0 में निहित सभी शर्तों का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो।

#### अतिरिक्त निर्देश:-

प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि लिगेसी वेस्ट के निस्तारण स्थल पर कैमरा लगाकर प्रतिदिन निरीक्षण का कार्य किया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि निस्तारण स्थल से उत्पन्न हुये आर0डी0एफ0 एवं वेस्ट को किसी दूसरे डम्प साइट पर न फेंका जाय व सम्पूर्ण लिगेसी के निस्तारण उपरान्त स्थल को साइन बोर्ड के माध्यम से वेस्ट फ्री जोन घोषित कर उसकी तार फैंसिंग कर भूमि को सुरक्षित किया जाय एवं निस्तारित स्थल के प्रचार प्रसार का भी कार्य कराया जाय।

अंत में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

  
(नेहा शर्मा)

राज्य मिशन निदेशक

राज्य मिशन निदेशालय  
स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय

पत्र संख्या-पी0एम0यू0 / 7357 / 547 / 2022 दिनांक 10  
उ0प्र0 लखनऊ।

जनवरी 2023

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग (अनुभाग-5), उ0प्र0 शासन।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 5- संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
- 6- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 7- अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 8- वित्त नियन्त्रक, सूडा, अपर निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय।
- 9- सहायक निदेशक (लेखा), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 10- संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
- 11- गार्ड फाइल।



(नेहा शर्मा)  
राज्य मिशन निदेशक

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

EXECUTION APPLICATION No. 23 OF 2023

IN

MA No. 33 OF 2023

IN

OA NO. 75 OF 2023

**IN THE MATTER OF:**

Jaishree Bansal

... Petitioner

Versus

State of UP & Ors

... Respondents

**INDEX**

<b>S.NO.</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
<b>1.</b>	Status Report on behalf of Ghaziabad Nagar Nigam	<b>1-17</b>
<b>2.</b>	<b><u>ANNEXURE A-1</u></b> The true copy of the Contract Agreement dated 24.06.2022 between Nagar Swasthya Adikhari, Ghaziabad Nagar Nigam and M/s Geron Engineering Pvt Ltd	<b>18-22</b>
<b>3.</b>	<b><u>ANNEXURE A-2</u></b> True copy of the Minutes of the 10 <sup>th</sup> Meeting of the Swatchh Bharat Mission 1.0- Urban on 28.02.2023 for the Solid Waste Management conducted under the chairmanship of the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Urban Development Department	<b>23-94</b>
<b>4.</b>	<b><u>ANNEXURE A-3</u></b> The true copy of the letter No. 585/Health/2023-24 dated 02.09.2023, thereby directing M/s Rollz India Waste	<b>95</b>

	Management Pvt Ltd & Geron Engineering Pvt Ltd. to deposit FDR/ BG for Rs. 65,00,000/- in the name of Accounts Officer	
<b>5.</b>	<b><u>ANNEXURE A-4</u></b> The true copy of the agreement dated 30.09.2023 entered into between M/s Rollz India Waste Management Pvt Ltd in JV Geron Engineering Pvt Ltd. and Ghaziabad Nagar Nigam	<b>96-98</b>
<b>6.</b>	<b><u>ANNEXURE A-5</u></b> True copy of the "Guidelines for Disposal of Legacy Waste (Old Municipal Solid Waste) Edn February, 2019 issued by CPCB	<b>99-129</b>
<b>7.</b>	<b><u>ANNEXURE A-6</u></b> The true copy of the guidelines issued by the Govt of U.P. for Leachate Management	<b>130</b>

Ghaziabad Nagar Nigam

*Through Counsel*

**Date:** 05.10.2023

**Place:** Ghaziabad



**(VIBHAV MISHRA)**

Advocate-on-Record

Ch No. 221, C.K. Daphtary Block,  
Tilak Lane, Supreme Court of India

New Delhi-110001

(M): 9473565666

(E): [vibhavamishra@outlook.in](mailto:vibhavamishra@outlook.in)

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

EXECUTION APPLICATION No. 23 OF 2023

IN

MA No. 33 OF 2023

IN

OA NO. 75 OF 2023

**IN THE MATTER OF:**

Jaishree Bansal

... Petitioner

Versus

State of UP & Ors

... Respondents

**STATUS REPORT**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present matter is pending before this Hon'ble Tribunal and is next listed on 01.11.2023.
2. That in compliance of the directions dated 10.02.2023 issued by this Hon'ble Tribunal in OA No. 75/2023, action taken report dated 14.03.2023 was filed by the Municipal Corporation, Ghaziabad (GNN), whereby it was deposed before this Hon'ble Tribunal that the Detailed Project Report was formulated for Land Reclamation through Bio-mining and Resource Recovery.

3. That in paragraph 4 of the order dated 26.04.2023, this Hon'ble Tribunal observed as under:

*"... It is not clear what is the scale laid down for remediation cost and how much is collected from waste generators. This has to be done under the statutory rules instead of everything remaining loose ended and undefined. It is also not clear as to where the waste is now being dumped after the dump site has been closed in September, 2022 on account of it having exceeded its capacity, as stated in the report. Thus, the matter needs to be looked into and remedial action taken at higher level in the State."*

4. That the report filed by the Municipal Corporation was placed before this Hon'ble Tribunal in MA No. 33 of 2023, whereby this Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following order:

*"In view of above, the District Magistrate and Ghaziabad Nagar Nigam may take further remedial measures as per law and give their report to the Chief Secretary, UP within one month from today. The Chief Secretary, UP may review the compliance*

*status and ensure further remedial action and send a separate report along with the report to be filed in O.A. No. 606/2018 with the Registrar General of this Tribunal. If found necessary, the registry may place the matter before the Bench for further orders. The report may give status of legacy waste at the site in question and any other site apart from Jagjeevanpur, apart from status and adequacy of waste processing facilities.”*

5. That it is most respectfully submitted that on 24.06.2022, the District Health Officer (Nagar Swasthya Adhikari) entered into an agreement with M/s Geron Engineering Pvt Ltd after open tendering process, with M/s Geron Engineering Pvt Ltd being the L-1, for handling, storage, segregation, processing and scientific disposal of Municipal Solid Waste (MSW) received at site from the GNN of 1500 TPD capacity for a period of 5 years or till the commissioning of Waste-to-Energy plant proposed at Galand or any other place is allotted by the GNN.

The true copy of the Contract Agreement dated 24.06.2022 between Nagar Swasthya Adikhari, Ghaziabad

Nagar Nigam and M/s Geron Engineering Pvt Ltd is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-1 (Page 18 to 22 )**.

6. The scope of the work includes that M/s Geron Engineering Pvt Ltd shall identify the land and create the processing site for the disposal of MSW.
7. No legacy waste is being created by the GNN and as on today and; there is no “dump-site” in Ghaziabad. The processing-site is in Village- Morta where with the help of 3 Warrior Machines, 5 Trommel, 4 ballistic and 9 poklane machines, the capacity of which are as under:

<b>Machines</b>	<b>Units</b>	<b>Capacity</b>	<b>Processing</b>
Warrior	3	50 TPH	1200 TPD*
Trommel	5	30 TPH	1200 TPD*
Ballistic	4	30 TPH	960 TPD*
Poklane	9	-	-

*\* when machines function for 8 hours in ideal climatic conditions.*

8. That from September 2022, all waste collected is directly sent to Village- Morta, where processing site of M/s Geron Engineering Pvt Ltd is located and there is door-to-door waste collection with maximum source-segregation. It is humbly submitted before this Hon'ble Tribunal that no alternate land except Village- Morta is available with Ghaziabad Nagar Nigam for processing of MSW.

9. That the salient features of the contract are:
- I. *Development, Operation and maintenance of the required infrastructure for Handling, Storage, Segregation, Processing and Scientific Disposal of MSW as per SWM Rules 2016 by M/s Geron Engineering Pvt Ltd.*
  - II. *The compliance of Solid Waste Management Rules 2016 and other applicable laws within Ghaziabad.*
  - III. *GNN shall arrange to transport only the MSW waste till the identified processing site. The MSW waste should not contain C&D waste, drain silt waste, horticulture waste, biomedical waste, hazardous waste or any prohibited waste as per SWM Rules 2016. However, in case of any C&D Waste / Drain silt is found in the vehicles transporting the waste, it shall be stored separately by the Contractor and the same information will be shared with GNN and C&T Operator on the same day.*
  - IV. *M/s Geron Engineering Pvt Ltd to provide adequate plant and machinery for processing / segregation of solid waste including mobile machinery of adequate capacity.*
  - V. *M/s Geron Engineering Pvt Ltd to setup the MRF facility for Segregation / processing of MSW into dry, wet and inert*

*fractions by adopting appropriate technologies as per applicable law. The disposal of segregated fractions shall be done by the Contractor outside the MRF facility as per applicable law.*

- VI. Identification & finalization of the land for setting up the MRF for unloading and handling of the MSW and its segregation/processing shall be in scope of the Contractor. The land should have access road to the site. GNN shall endorse the land lease agreement between the private party and the Contractor. In case the payment for land shall be done by GNN, it shall be deducted from the Contractor's bill. In case land is provided by GNN, market rent of the land will be deducted by GNN from the Contractor's bill.*

*.....*

- XII. The MSW waste shall be stored for each day separately for 30-45 days. Post the decomposition of waste in 45 days, it shall be processed.*
- XIII. Unloading of waste shall be facilitated 24x7 for all days.*
- XIV. During the rainy days, MSW received at the plant shall be stored and can be processed by the Contractor post the*

*rainy season is over. The Contractor shall ensure that any backlog MSW stored due to rainy season is cleared within 3-4 months post the rainy season.*

*....*

- XVI. The RDF shall be sent either for co-processing or waste to energy plant for scientific disposal at the own cost of the Contractor.*
- XVII. The Contractor shall have no right to claim the EPR under this agreement as GNN has separate arrangement for the same.*
- XVIII. GNN shall not provide any, electricity or facility for the processing plant. The entire responsibility for infrastructure development at the processing plant and its operation & management shall be of the Contractor.*
- XIX. Any MSW generated within the GNN jurisdiction area by other government or local bodies like GDA, Awas Vikas or any Bulk Waste Generator like Airport authority, railways, malls, societies etc. can be directly transported by the respective body to the MSW processing facility and the respective body shall directly pay the Contractor same price per ton as finalized under this contract.*

*XX. Till the time, the Contractor identifies and makes the new processing site operational, it shall setup the mobile machinery at the current site of GNN and start processing the existing waste. The Contractor shall ensure processing of existing waste also at the same price per ton basis as finalized in this contract.*

- 10.** That in the 10<sup>th</sup> Meeting of the Swatchh Bharat Mission 1.0-Urban on 28.02.2023 for the Solid Waste Management conducted under the chairmanship of the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Urban Development Department was conducted whereby guidelines were formulated that the Computation of the Legacy Waste shall be done by Satellite Imaging, Contour Survey & weighing (whichever is less).

The true copy of the Minutes of the 10<sup>th</sup> Meeting of the Swatchh Bharat Mission 1.0- Urban on 28.02.2023 for the Solid Waste Management conducted under the chairmanship of the Additional Chief Secretary/ Principal Secretary, Urban Development Department is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-2 (Page 23 to 94 )**.

- 11.** That the DPR of the GNN prepared on the basis of third-party survey was considered in the meeting in the 10<sup>th</sup> Meeting of the

Swatchh Bharat Mission and it was noted that at present 272214 Tonne of Legacy waste is present within the Municipal Limits of Ghaziabad. In the DPR prepared by the GNN with the help of third-party survey for Land Reclamation through Bio-mining, Resource Recovery and complete eradication of Legacy waste, the estimated cost of the project was calculated to Rs. 9,11,00,000.00 (Rupees Nine Crore and Eleven Lac Only), whereas after vetting of the DPR from the Regional Centre for Urban & Environmental Studies, Lucknow (RCUES), the cost of the legacy waste treatment was enhanced to Rs. 13,41,28,013.00, which comes to Rs. 492.73 per-tonne.

- 12.** That advertisement dated 22.04.2023 was published by the GNN in the newspapers calling upon the bid for the treatment of Legacy Waste through Bio-remediation, resource recovery and scientific rejects disposal at Bhikkanpur Pipeline Road, Ghaziabad.
- 13.** That after technical examination of Bids, Financial bids were opened on 30.05.2023, wherein M/s Rollz India Waste Management Pvt Ltd & Geron Engineering Pvt Ltd. were declared as L-1 quantifying the cost of processing at Rs. 478/-

per- tonne as against the cost estimated by the RCUES, which was at Rs. 492.73 per-tonne.

14. That GNN is not only dedicated to safe-guard environment, but also committed to save government exchequer.
15. That the State- Director Swatchh Bharat Mission- Urban vide letter No. 283/N. AA./2023-24 dated 18.08.2023 has approved the cost of Rs. 478/- per-tonne for the total 26900 Tonne quantifying the total cost to stand at Rs. 12,85,82,000/-.
16. That vide letter No. 585/Health/2023-24 dated 02.09.2023, the undersigned has directed M/s Rollz India Waste Management Pvt Ltd & Geron Engineering Pvt Ltd. to deposit FDR/ BG for Rs. 65,00,000/- in the name of Accounts Officer within 7 days from the date of the receipt of the letter and get the agreement executed after submitting the stamp-papers as per rules.

The true copy of the letter No. 585/Health/2023-24 dated 02.09.2023, thereby directing M/s Rollz India Waste Management Pvt Ltd & Geron Engineering Pvt Ltd. to deposit FDR/ BG for Rs. 65,00,000/- in the name of Accounts Officer is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-3 (Page to 95 ).**

17. That on 30.09.2023, contract has been entered into between M/s Rollz India Waste Management Pvt Ltd in JV Geron Engineering Pvt Ltd. and Ghaziabad Nagar Nigam, through the Nagar Swasthy Adhikaari. The true copy of the agreement dated 30.09.2023 entered into between M/s Rollz India Waste Management Pvt Ltd in JV Geron Engineering Pvt Ltd. and Ghaziabad Nagar Nigam is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-4 (Page 96to 98 )**.
18. That regarding fire incident, it is submitted before this Hon'ble Tribunal that prior to this, no fire incident has taken place at any legacy waste site in Ghaziabad. This incident was first of its kind and was accidental in nature. So far Ghaziabad Nagar Nigam has processed 6.50 Lac Metric Tonnes of Legacy Waste in various sites and this fire was controlled and extinguished strictly in accordance with the guidelines of CPCB.
19. That Cl. 4.4.3 titled Fire Control and Safety of the "Guidelines for Disposal of Legacy Waste (Old Municipal Solid Waste) Edn February, 2019 issued by CPCB provides as under: :
- "Most large dumpsites are smoldering from hidden fires. Methane itself is flammable with a blue flame, and supports the yellow-flame burning of combustible plastics,*

*cloth and oily rags. Sometimes flammable industrial waste finds its way onto dumpsites, aggravating the problem.*

*It is difficult to begin bio-remediation work on a smoking dump. Sometimes digging into the dump awakens hidden fires. So fire control is important. Adding water increases the generation of both methane and leachate and is counter-productive, not a long-term solution. Adding soil cover to smother the flames adds more material to a heap that one is trying to bring down.*

*There is a better way, again requiring creative common-sense and experience and training of earth-mover drivers. Most fires within heaps have a point source – a bag of textile discards or plastic waste or a ball of oily rags. Earthmover drivers must learn to dig in and pluck out these burning balls of fire. These should be laid nearby on the surface of the dump and then rubbed out with the back of the excavator shovel to extinguish the flames and smoke. Wet soil should be kept handy to immediately plug the excavated hole. Adding composting bio-cultures can be tried, to counter the anaerobic conditions around the burning spots. Smoking points must be tackled patiently*

*and systematically, one by one, till the dump is smoke-free to begin stabilizing operations by bio-remediation.*

*It is important to do the risk assessment and an onsite emergency plan should be kept handy prior to commencement of dumpsite bio-remediation & bio-mining.”*

The true copy of the “Guidelines for Disposal of Legacy Waste (Old Municipal Solid Waste) Edn February, 2019 issued by CPCB is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-5 (Page 99to 129).**

- 20.** That the intensity of fire was such that entering into the heap was not possible without risk and therefore it was decided that water be sprinkled to first – bring down the temperature of the heap, make it wet so that the flammability of the flammable material could be reduced and then ultimately extinguish it completely.
- 21.** That fire in dump site is common because of Methane, which is highly flammable and can ignite for innumerable reasons.
- 22.** That for Leachate Management, Aeration of Waste is one of the established procedures as the guidelines issued by the Govt of U.P. Aeration introduces oxygen, preventing anaerobic conditions. This reduces methane generation, a potent

greenhouse gas, and minimizes the risk of spontaneous fires due to methane build-up.

The true copy of the guidelines issued by the Govt of U.P. for Leachate Management is annexed herewith and marked as **ANNEXURE A-6 (Page 130o )**.

- 23.** That GNN, for aeration, has made groves in the legacy waste to prevent further methane build-up and to speed up its drying.
- 24.** That this year, due to very heavy unseasonal rains starting from March until onset of Monsoon, the treatment of Legacy waste has been hampered and the processing of MSW has been adversely affected. This is one of the reason why the duration of MSW treatment is not being increased from 8 hours, because the available MSW for processing exhausts in this duration. Notwithstanding the above, both M/s Geron Engineering Pvt Ltd and GNN are constantly keeping close eye on the climatic conditions and are determined to increase the processing capacity once the rainy season is over and the waste is ready for processing.
- 25.** That following are the future plans for the MSW Management as undergoing MSW projects:

- A.** Construction of 300 TPD Bio-CNG plant from Wet Waste. (PPP Model) in Village-Dundahera.
- B.** Proposed 1500-3000 TPD Waste-to-Energy Plant at Village- Galan (District- Hapur). However, due to public resistance, this project is delayed. Once it gets commenced, all MSW shall be processed at this place.
- 26.** That nothing material is concealed herefrom.

Ghaziabad Nagar Nigam

*Through Counsel*

**Date:** 05.10.2023

**Place:** Ghaziabad



**(VIBHAV MISHRA)**

Advocate-on-Record

Ch No. 221, C.K. Daphtary Block,

Tilak Lane, Supreme Court of India

New Delhi-110001

(M): 9473565666

(E): [vibhavamishra@outlook.in](mailto:vibhavamishra@outlook.in)

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

EXECUTION APPLICATION No. 23 OF 2023

IN

MA No. 33 OF 2023

IN

OA NO. 75 OF 2023

**IN THE MATTER OF:**

Jaishree Bansal

... Petitioner

Versus

State of UP & Ors

... Respondents

**AFFIDAVIT**

I, Dr. Mithilesh Kumar, S/o Shri Bhushan Singh aged about 42 Years presently working as Nagar Swasthya Adhikaari with the Ghaziabad Municipal Corporation, State of Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and declare as under;-

**PRESENTLY AT DELHI**

1. That I am the duly authorized officer of Ghaziabad Nagar Nigam in the above- noted petition and as such I am well conversant with the facts of this case and thus I am competent to swear this affidavit.
2. That the accompanying application may be read as part and parcel of this affidavit which are not repeated for the sake of brevity and has




been drafted and filed by the empanelled counsel as per my instructions. I understood the contents of the above-mentioned application and the same are true and correct to the best of my knowledge as verifiable from the official records of the case.

- 3. That the annexures filed along with above-mentioned application are true and correct of their respective originals.

*[Signature]*  
**DEPONENT**

**VERIFICATION:**

Verified at Ghaziabad on the *05<sup>th</sup>* day of *Oct*, 2023 that the contents of the above affidavit contained in the para 1 to 3 are true and correct to my knowledge derived out of records. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.



*[Signature]*  
**DEPONENT**

*Identified by me*  
*[Signature]*  
*WP-7230-2016.*

*5/10/2023*

**IDENTIFIED**  
**ATTESTED**  
**NOTARY PUBLIC DELHI**  
**GOVT. OF INDIA**  
**Mob.: 9654768498**













# अमर उजाला



सूर्योदय  
सुबह 6:51  
सूर्यास्त  
रात 5:23  
वर्षा 10.5mm



26°  
14°

अमर उजाला का पूर्वानुमान देखें  
[amarujala.com/weather](http://amarujala.com/weather)

नई दिल्ली: रविवार 26.11.2023  
दर्राईक टुलस धरुवरी दिनांक 2080

## गाजियाबाद

[amarujala.com/ghaziabad](http://amarujala.com/ghaziabad)


### आज सुबह 11 बजे से चलेगी रैपिडएक्स नमो भारत

गाजियाबाद: गाजियाबाद से दुर्राई के बीच शुरू हुई रैपिडएक्स नमो भारत ट्रेन का संचालन रविवार को तीन घंटे देर से शुरू होगा। यह ट्रेन सुबह आठ बजे को अलग 11 बजे चलेगी। रविवार से रविवार को यह अपने निर्धारित समय पर चलेगी।  
एनटीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि सहायक-दुर्राई डिप्टी कंट्रोलर पर निर्यमित बंदोबस्त और अपसंवेदन को बखत से सुबह घंटे ट्रेन नहीं चलेगी।  
इन्होंने बताया कि रैपिडएक्स नमो भारती के लिए इसकी भुगतान कि को वेबसाइट [www.nrtc.in](http://www.nrtc.in) पर कर ले सके हैं।  
अलायम संपर्क नंबर 8069651515 पर संपर्क किया गया है।



### घात के बाद छात्रा ने कूदकर दे दी जान

गाजियाबाद में चल रही थी छात्रा, फव्वारे में मिला शव



vivo Y36

Makraida, Uttar Pradesh 26-Nov-2023, 11:44

75 कैमरों की फुटेज देखी छह घंटे में खुल सका राज

गाजियाबाद में घात के बाद छात्रा ने कूदकर दे दी जान। घात के बाद छात्रा ने कूदकर दे दी जान। घात के बाद छात्रा ने कूदकर दे दी जान।

8%  
FINANCING CHARGES



# my city

## अमर उजाला



सूर्योदय  
सुबह 6:51  
सूर्यास्त  
शाम 5:23  
वर्षा 0mm



26°  
14°

अपने 7 दिनों का पूर्वानुमान देखें  
[amarujala.com/weather](http://amarujala.com/weather)

मई दिल्ली | रविवार | 26.11.2023

दैनिक सुबह 6:00 बजे शुरू होता है

[amarujala.com/ghaziabad](http://amarujala.com/ghaziabad)

### गाजियाबाद

# दोस्त से मुलाकात के बाद छात्रा ने

# 23वां साल से कूदकर दे दी जान

### आज सुबह 11 बजे से चलेगी रैपिडएक्स नमो भारत

गाजियाबाद। मॉडिबल से मुलाकात के बाद छात्रा ने 23वां साल से कूदकर दे दी जान।



नमो भारत रैपिडएक्स सेवा का शुभारंभ आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा।

## Details for registration number : MOCOP/E/2023/0024335

<b>Name Of Complainant</b>	JAISHREE BANSAL
<b>Date of Receipt</b>	29/09/2023
<b>Received By Ministry/Department</b>	Cooperation
<b>Grievance Description</b>	
Cooperation >> Others ----- As per Uttar Pradesh government Land records, there is a chak road on agriculture land khata number 00054, between khasra number 6 and khasra number 7&8, located at jagjivanpur village, Ghaziabad, U.P. 201003. This chak road has been illegally taken under control by Ghaziabad Nagar Nigam and GNN has dumped garbage over it in huge quantity, resulting in complete closure of this road. I have been complaining about this in Jansunwai portal of U.P. but unfortunately, no action has been taken yet. Please help in getting the road cleared from garbage and provide easy and clear passage to the commuters.	
<b>Current Status</b>	Case closed
<b>Date of Action</b>	25/10/2023
<b>Remarks</b>	
अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित कार्यवाही पूर्ण कराई गई एवं आख्या अनुमोदित प्राप्त संदर्भ के संबंध में सादर अवगत कराना है कि उक्त शिकायत में की गई विभागीय कार्यवाही आख्या अवलोकन हेतु संलग्न कर सादर निक्षेपण हेतु प्रेषित है	
<b>Rating</b>	<input type="text" value="1"/>
<b>Appeal Details</b>	
<b>Appeal Number</b>	
<b>Date of Receipt</b>	
<b>Appeal Text</b>	
<b>Current Status</b>	
<b>Officer Concerns To</b>	
<b>Officer Name</b>	Shri Bhaskar Pandey (Joint Secretary)
<b>Organisation name</b>	Government of Uttar Pradesh
<b>Contact Address</b>	Chief Minister Secretariat , Room No. 321, U.P. Secretariat, Lucknow
<b>Email Address</b>	bhaskar.12214@gov.in
<b>Contact Number</b>	05222226350
<input type="button" value="Print"/> <input type="button" value="Close"/>	



# गाजियाबाद नगर निगम

(I.S.O.9001,14001 एवं 18001 प्रमाणित संस्था)

प्रेषक,

नगर स्वास्थ्य अधिकारी  
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में

जिलाधिकारी  
गाजियाबाद।

पत्रांक/ 2302. /स्वा0/2023

दिनांक... 25-10-2023

विषय- संदर्भ सं0 60000230196557 दिनांक 29.09.2023 समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर शिकायत का निस्तारण करा दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में निस्तारण आख्या निम्नानुसार है।

सुनने वाले/जॉच अधिकारी का नाम	पवन कुमार
पदनाम	मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक
मोबाइल नम्बर	8178016842
शिकायतकर्ता का नाम व पता	श्रीमती जयश्री बंसल, आर-4/37 राजनगर गाजियाबाद।
शिकायतकर्ता का मोबाइल नं0	9999805616
शिकायत का स्थल/विषय	समस्या के समाधान के सम्बन्ध में।
सुनवाई/निस्तारण की दिनांक	25.10.2023
अधिकारी का आख्या	कृपया आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ सं0-60000230196557 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एकत्रित लिंगेसी अपशिष्ट निस्तारण हेतु फर्म को कार्यादेश जारी करके कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है। अतः उक्त शिकायत को निक्षेपित करने का कष्ट करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त संदर्भ को निक्षेपित करने का कष्ट करें।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी  
गाजियाबाद नगर निगम

प्रतिलिपि-कृपया निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

01. नगर आयुक्त महोदय।
02. श्रीमती जयश्री बंसल, आर-4/37 राजनगर गाजियाबाद।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी  
गाजियाबाद नगर निगम

25.10.2023  
प्रणारी अधिकारी (I.G.R.S.)  
गाजियाबाद नगर निगम





SUNDAY 24.12.2023 दिल्ली-एनसीआर

# अमर उजाला

www.ujala.com

लोकसभा चुनाव में विपक्ष को करना है अचंभित : राह

भारत आ रहे इस्त्राइली जहाज पर ड्रोन से हमला

अमेरिका : मंदिर में लिखे खालिस्तान समर्थक नारे

2023 12 24 10:31



SUNDAY 24.12.2023 दिल्ली-एनपीआर

# आमर अजाला

75

भारत आ रहे इस्राइली जहाज पर ड्रोन से हमला

अमेरिका : मंदिर में लिखे खालिस्तान समर्थ

लोकसभा चुनाव को करना है अचंभित

2023 12 24 10:31

संदर्भ संख्या : 40014023048094 , दिनांक - 26 Dec 2023 तक की स्थिति

## आवेदनकर्ता का विवरण :

## शिकायत संख्या:-

40014023048094

## आवेदक का नाम-

jaishree bansal

## विषय-

Please help in getting the garbage fallen on our boundary wall, damaging it completely and oozing inside our premises, removed and in refabrication of our boundary wall, broked by by Ms GEPL's garbage.. The garbage belongs to the unprocessed mix waste dumping going on behind our our boundary wall by Ms GEPL in mountain type form. This is also worth mentioning that the dumping is going on illegally over the sarkari chak road and sarkari nali as per GDA Bhulekh. One photograph is attached for your reference and necessary onward action please. Location is Main pipeline road, near bhikkanpur village, ghaziabad 201003..

## Department -

पुलिस

## Complaint Category -

## नियोजित तारीख-

21-01-2024

## शिकायत की स्थिति-

## Level -

थाना स्तर

## Post -

थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक

## प्राप्त रिमाइंडर-

## प्राप्त फीडबैक -

दिनांक को फीडबैक:-

## फीडबैक की स्थिति -

## संलग्नक देखें -

Click here

**नोट-** अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है।

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	आदेश	आख्या देने वाले अधिकारी	आख्या दिनांक	आख्या	स्थिति	आपत्ति देखे	संलग्नक
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	22-12-2023		थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक-मुराद नगर,जनपद-गाजियाबाद,पुलिस	25-12-2023	श्रीमान जी आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । विवरण हेतु क्लिक करें...	निस्तारित		

आख्या:- थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

सेवा में,

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय,  
पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

IGRS. NO	40014023048094
आवेदिका का नाम	जयश्री बरल पुत्री दीपक बंसल निवासी R-4/37 राजनगर गाजियाबाद मो0न0 9999805616।
प्रतिवादी का नाम व पता	Ms GEPL garbage कंपनी
लगाये गये आरोपों का संक्षिप्त विवरण	प्रतिवादी कंपनी द्वारा अनप्रोसेस कचरा डम्प करने व उक्त डंपिंग यार्ड के पास स्थित आवेदिका की निजी भूमि पर स्थित भवन को डम्प कचरे से क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।
जाचकर्ता अधिकारी का नाम व पद	उ0नि0 विवेन्द्र सिंह थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद मो0न0- 8218926844
जांच का संक्षिप्त विवरण	श्रीमान जी, सादर अवगत करना है कि आवेदिका जयश्री बंसल पुत्री दीपक बंसल निवासी R-4/37 राजनगर गाजियाबाद मो0न0 9999805616 द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र संख्या- 40014023048094 की जाँच मुझ उ0नि0 द्वारा मौके पर जाकर व आस पास के लोगों व आवेदिका से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर की गई तो वाक्यतः इस प्रकार पाये गये कि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा ग्राम मकरेडा के पास पाइपलाइन रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद में शहर का कचरा डम्प कराया जाता है उक्त डम्पिंग यार्ड के पास स्थित आवेदिका की निजी भूमि पर स्थित भवन की चहारदीवारी को डम्प कचरे से क्षति पहुंचाने के आरोप अंकित किए गये हैं। प्रसंगत प्रकरण में आवेदिका की समस्या का निस्तारण नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कराया जाना अपेक्षित है। आवेदिका के प्रार्थना पत्र संख्या- 40014023048094 के निस्तारण के सम्बन्ध में अलग से एक रिपोर्ट बनाकर श्रीमान नगर आयुक्त महोदय नगर निगम गाजियाबाद को प्रेषित की जा चुकी है। प्रेषित रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न आख्या है। रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।
लगाए गए आरोप सत्य हैं या असत्य	सत्य
पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही	आवेदिका की समस्या का निस्तारण नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कराया जाना अपेक्षित है।

महोदय,  
संस्तुति सहित बहसचित है।

(थागाविसी)  
थाना-मुरादनगर, गाजियाबाद।

25/12/23

T. Singh  
25/12/23

( विवेन्द्र सिंह )

उ0नि0

थाना मुरादनगर  
कमिश्नरेट गाजियाबाद  
दिनांक 25/12/2023

रिपोर्ट:- थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद।

सेवा में

श्रीमान नगर आयुक्त महोदय  
नगर निगम गाजियाबाद।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आईजीआरएस पोर्टल पर आवेदिका जयश्री बंसल पुत्री दीपक बंसल निवासी R-4/37 राजनगर गाजियाबाद द्वारा शिकायत संख्या- 40014023048094 दिया गया है। जिसमें आवेदिका द्वारा नगर निगम गाजियाबाद द्वारा ग्राम मकरेडा के पास पाइपलाइन रोड थाना मुरादनगर में नियमों के विरुद्ध अनप्रोसेड कचरा डम्प करने व उक्त डंपिंग यार्ड के पास स्थित आवेदिका की निजी भूमि पर स्थित भवन को डम्प कचरे से क्षति पहुंचाने के आरोप अंकित किए गये हैं। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका की समस्या का निस्तारण नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कराया जाना अपेक्षित है। अतः आवेदिका के प्रार्थना पत्र संख्या- 40014023048094 को इस आशय से सलमन कर प्रेषित किया जा रहा है कि आवेदिका की समस्या का उचित निस्तारण कराने का कष्ट करें।

रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

*Tarun Singh*  
21/12/2023  
( त्रिवेन्द्र सिंह )

उ०नि०

थाना मुरादनगर  
कमिश्नरेट गाजियाबाद  
दिनांक 25/12/2023



संदर्भ संख्या : 40014023048080 , दिनांक - 26 Dec 2023 तक की स्थिति

## आवेदनकर्ता का विवरण :

## शिकायत संख्या:-

40014023048080

## आवेदक का नाम-

jaishree bansal

## विषय-

Please help in getting the leachates accumulating over our land, removed.. The leachates is oozing out from unprocessed mix waste dumping going on behind our our boundary wall by Ms GEPL in mountain type form. This is also worth mentioning that the dumping is going on illegally over the sarkari chak road and sarkari nali as per GDA Bhulekh. Some photographs are attached for your reference and necessary onward action please. Location is Main pipeline road, near bhikkanpur village, ghaziabad 201003

## Department -

पुलिस

## Complaint Category -

## नियोजित तारीख-

21-01-2024

## शिकायत की स्थिति-

## Level -

थाना स्तर

## Post -

थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक

## प्राप्त रिमाइंडर-

## प्राप्त फीडबैक -

दिनांक को फीडबैक:-

## फीडबैक की स्थिति -

## संलग्नक देखें -

Click here

**नोट-** अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	आदेश	आख्या देने वाले अधिकारी	आख्या दिनांक	आख्या	स्थिति	आपत्ति देखे	संलग्नक
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	22-12-2023		थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक-मुराद नगर,जनपद-गाजियाबाद,पुलिस	25-12-2023	श्रीमान जी आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । विवरण हेतु क्लिक करें...	निस्तारित		

आख्या:- थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

सेवा में,

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय,  
पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

IGRS. NO	40014023048080
आवेदिका का नाम	जयश्री बंसल पुत्री दीपक बंसल निवासी R-4/37 राजनगर गाजियाबाद मो0नं0 9999805616।
प्रतिवादी का नाम व पता	Ms GEPL garbage कम्पनी
लगाये गये आरोपों का सक्षिप्त विवरण	प्रतिवादी कम्पनी द्वारा अनप्रोसेस्ड कचरा डम्प करने व उक्त डम्पिंग यार्ड के पास स्थित आवेदिका की निजी भूमि पर स्थित भवन को डम्प कचरे से क्षति पहुंचाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।
जांचकर्ता अधिकारी का नाम व पद	उ0नि0 त्रिवेन्द्र सिंह थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद मो0नं0- 8218926844
जाँच का सक्षिप्त विवरण	श्रीमान जी, सादर अवगत कराना है कि आवेदिका जयश्री बंसल पुत्री दीपक बंसल निवासी R-4/37 राजनगर गाजियाबाद मो0नं0 9999805616 द्वारा दिये गये शिकायती प्रार्थना पत्र संख्या- 40014023048094 की जाँच मुझ उ0नि0 द्वारा मौके पर जाकर व आस पास के लोगो व आवेदिका से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर की गई तो वाक्यात इस प्रकार पाये गये कि नगर निगम गाजियाबाद द्वारा ग्राम मकन्देड़ा के पास पाइपलाइन रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद में शहर का कचरा डम्प कराया जाता है उक्त डम्पिंग यार्ड के पास स्थित आवेदिका की निजी भूमि पर स्थित भवन की चहारदीवारी को डम्प कचरे से क्षति पहुंचाने के आरोप अंकित किए गये हैं। प्रकृत प्रकरण में आवेदिका की समस्या का निस्तारण नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कराया जाना अपेक्षित है। आवेदिका के प्रार्थना पत्र संख्या- 40014023048080 के निस्तारण के सम्बन्ध में अलग से एक रिपोर्ट बनाकर श्रीमान नगर आयुक्त महोदय नगर निगम गाजियाबाद को प्रेषित की जा चुकी है। प्रेषित रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न आख्या है। रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।
लगाए गए आरोप सत्य हैं या असत्य	सत्य
पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही	आवेदिका की समस्या का निस्तारण नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कराया जाना अपेक्षित है।

*Tsingh*  
25/12/23  
( त्रिवेन्द्र सिंह )  
उ0नि0

थाना मुरादनगर  
कमिश्नरेट गाजियाबाद  
दिनांक 25/12/2023

महोदय,  
संस्तुति सहित अवसरित है।

*(D.K.)*  
(थानाधिकारी)

थाना-मुरादनगर, गाजियाबाद।

25/12/23

रिपोर्ट:- थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

सेवा में

श्रीमान नगर आयुक्त महोदय  
नगर निगम गाजियाबाद ।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आईजीआरएस पोर्टल पर आवेदिका जयश्री बंसल पुत्री दीपक बंसल निवासी R-4/37 राजनगर गाजियाबाद द्वारा शिकायत संख्या- 40014023048080 दिया गया है। जिसमें आवेदिका द्वारा नगर निगम गाजियाबाद द्वारा ग्राम मकरेडा के पास पाइपलाइन रोड थाना मुरादनगर में नियमों के विरुद्ध अनप्रोस्टेड कचरा डम्प करने व उक्त डंपिंग यार्ड के पास स्थित आवेदिका की निजी भूमि पर स्थित भवन को डम्प कचरे से क्षति पहुंचाने के आरोप अंकित किए गये हैं। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका की समस्या का निस्तारण नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कराया जाना अपेक्षित है। अतः आवेदिका के प्रार्थना पत्र संख्या- 40014023048080 को इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि आवेदिका की समस्या का उचित निस्तारण कराने का कष्ट करें।

रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

*Trivendra Singh*  
25/12/23 51  
( त्रिवेन्द्र सिंह )

उ०नि०

थाना मुरादनगर  
कमिश्नरेट गाजियाबाद  
दिनांक 25/12/2023

भारतीय डाक

RD979373519IN IVR:8268979373519  
 RL CONNAUGHT PLACE SO <110002>  
 Counter No:2,27/12/2023,16:16 India Post  
 To:POLICE COMISS,SECTOR 18  
 PIN:201002, Kavi Nagar SO  
 From:JAISHREE BA,R 4/37 RAJ NAGAR  
 Wt:140gms,REG=17.0  
 Amt:61.36(Cash)Tax:9.36  
 <Track on www.indiapost.gov.in>  
 <Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक

RD979373505IN IVR:8268979373505  
 RL CONNAUGHT PLACE SO <110001>  
 Counter No:2,27/12/2023,16:16 India Post  
 To:PRIME MINISTE,152 SOUTH BLOCK  
 PIN:110011, Nirman Bhawan SO  
 From:JAISHREE BA,R 4/37 RAJ NAGAR  
 Wt:140gms,REG=17.0  
 Amt:61.36(Cash)Tax:9.36  
 <Track on www.indiapost.gov.in>  
 <Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक

RD979373496IN IVR:8268979373496  
 RL CONNAUGHT PLACE SO <110001>  
 Counter No:2,27/12/2023,16:16 India Post  
 To:CHIEF MINISTE,LOK BHAWAN  
 PIN:226001, Lucknow GPO  
 From:JAISHREE BA,R 4/37 RAJ NAGAR  
 Wt:140gms,REG=17.0  
 Amt:61.36(Cash)Tax:9.36  
 <Track on www.indiapost.gov.in>  
 <Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक

RD979373482IN IVR:8268979373482  
 RL CONNAUGHT PLACE SO <110001>  
 Counter No:2,27/12/2023,16:16 India Post  
 To:NATIONAL COMI,JASOLA  
 PIN:110025, New Friends Colony SO  
 From:JAISHREE BA,R 4/37 RAJ NAGAR  
 Wt:140gms,REG=17.0  
 Amt:61.36(Cash)Tax:9.36  
 <Track on www.indiapost.gov.in>  
 <Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक

RD979373479IN IVR:8268979373479  
 RL CONNAUGHT PLACE SO <110001>  
 Counter No:2,27/12/2023,16:16 India Post  
 To:NHRC,MANAV ADHIKAR BHAWAN  
 PIN:110023, Sarojini Nagar HD  
 From:JAISHREE BA,R 4/37 RAJ NAGAR  
 Wt:140gms,REG=17.0  
 Amt:61.36(Cash)Tax:9.36  
 <Track on www.indiapost.gov.in>  
 <Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक

RD979373465IN IVR:8268979373465  
 RL CONNAUGHT PLACE SO <110001>  
 Counter No:2,27/12/2023,16:16 India Post  
 To:D/O WHO REPRS,537 NIRMAN BHAWAN  
 PIN:110011, Nirman Bhawan SO  
 From:JAISHREE BA,R 4/37 RAJ NAGAR  
 Wt:140gms,REG=17.0  
 Amt:61.36(Cash)Tax:9.36  
 <Track on www.indiapost.gov.in>  
 <Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक

RD979373451IN IVR:8268979373451  
 RL CONNAUGHT PLACE SO <110002>  
 Counter No:2,27/12/2023,16:16 India Post  
 To:DISTRICT MAGI,SECTOR 10  
 PIN:201002, Kavi Nagar SO  
 From:JAISHREE BA,R 4/37 RAJ NAGAR  
 Wt:140gms,REG=17.0  
 Amt:61.36(Cash)Tax:9.36  
 <Track on www.indiapost.gov.in>  
 <Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक

RD979373448IN IVR:8268979373448  
 RL CONNAUGHT PLACE SO <110001>  
 Counter No:2,27/12/2023,16:16 India Post  
 To:DY COMMISSIONE,RURAL ZONE 6Z  
 PIN:201206, Murad Nagar SO  
 From:JAISHREE BA,R 4/37 RAJ NAGAR  
 Wt:140gms,REG=17.0  
 Amt:61.36(Cash)Tax:9.36  
 <Track on www.indiapost.gov.in>  
 <Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>





पाईपलाइन रोड से डंपिंग ग्राउंड हटाने के विरोध में चरणबद्ध रूप से चलाया जायेगा आंदोलन

# 17 से डंपिंग ग्राउंड के पास होगा अखंड महायज्ञ, 31 से रोके जायेंगे कूड़े के वाहन

## संघर्ष

- विकास संघर्ष समिति की ग्रामीण पंचायत में लिये गये निर्णय
- ग्राउंड हटाओ समिति का किया गया गठन

अथाह संवाददाता

मुरादनगर। पाइप लाइन रोड के किनारे गाजियाबाद नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड के विरोध में आयोजित ग्रामीण पंचायत में निर्णय लिया गया कि 17 दिसंबर से डंपिंग ग्राउंड के पास अखंड महायज्ञ किया जायेगा और इसके बाद भी कूड़ा डालना बंद नहीं किया तो 31 से कूड़े के वाहनों को रोकने का काम किया जायेगा।

रविवार को विकास संघर्ष समिति गाजियाबाद के तत्वावधान में गांव भिक्कनपुर (मुरादनगर) के शिव मंदिर के प्रांगण में ग्रामीण पंचायत का आयोजन किया गया। लगभग तीन घंटे चली पंचायत में सर्वसम्मति से आंदोलन की अग्रिम रणनीति तैयार की गई। पंचायत में



निर्णय लिया गया कि सर्व प्रथम एक समिति का गठन डंपिंग ग्राउंड हटाओ समिति पाईप लाइन रोड मुरादनगर के नाम से किया गया, जिसका संरक्षक अजय प्रमुख (भिक्कनपुर) अध्यक्ष, मीनू चौधरी प्रधान को सचिव, कृष्ण देव आर्य प्रधान (मकरेड़ा) एवं डा. जय श्री बंसल एवं वन्दना चौधरी को उपाध्यक्ष, शिवराज सिंह त्यागी एवं ब्रज पाल निमेश को सह सचिव बनाया गया है। साथ ही 15 सदस्यीय कार्यकारिणी में संदीप चौधरी, बिट्टू चौधरी, नितिन नेता, डॉ विक्रान्त चौधरी, अरविंद चौधरी, विनयखारी,

अजय कुमार, लाला, अरविंद प्रधान, संजय चौधरी, दक्ष नागर, सुमित चौधरी, राहुल फौजी, रजनीश त्यागी, राहुल चौधरी आदि शामिल हैं।

विकास संघर्ष समिति के सचिव सलेक भड़या ने बताया कि आंदोलन की प्रथम कड़ी में डंपिंग ग्राउंड हटाओ अभियान चलाया जाएगा। जन जागरण अभियान के अन्तर्गत गांव स्तरीय पंचायतों की जायेगी एवं 17 दिसम्बर से कूड़ा डम्प स्थल के समीप पाईप लाइन रोड पर अखंड महायज्ञ किया जायेगा जिसमें प्रतिदिन एक लाख आहुति दी जायेगी। 'कूड़ा



हटाओ अन्यथा हमें हटाओ' की चेतावनी के साथ यदि 10 दिन में कूड़ा डम्प किया जाना बंद नहीं किया गया तो 31 दिसंबर को डंपिंग ग्राउंड के पास विशाल ग्रामीण पंचायत की जायेगी जिसके बाद किसी भी कूड़े के वाहन को पाइप लाइन क्षेत्र में नहीं घुसने दिया जायेगा।

पंचायत की अध्यक्षता डा. राजेन्द्र कलकल (भिक्कनपुर) एवं संचालन कृष्ण देव आर्य प्रधान (मकरेड़ा) ने किया एवं विनय खारी सैंथली, सीताराम शर्मा, डॉ जय श्री बंसल, ब्रज पाल निमेश, वन्दना

चौधरी, मां मन्तराम नागर, शिवराज त्यागी, नितिन नेता, दक्ष नागर, रजनीश त्यागी, अरविंद उर्फ पप्पू प्रधान, मीनू चौधरी, अजय, डॉ विक्रान्त चौधरी, राहुल फौजी, राहुल चौधरी, महावीर सिंह, अरुण आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।

ग्रामीण पंचायत में पहुंचे सहायक पुलिस आयुक्त नरेश कुमार को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिस पर एसीपी ने आश्वासन दिया कि वे इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर समाधान कराया जाएगा।

वसापा एरिवाव वसापो कवंब नवीं वै

पर्यावरण, जल

दादला बनाते

## चलो पाईप लाईन रोड

## पाईप लाईन रोड चलो

आदरणीय बुजुर्गों/नौजवान साथियों/माताओं/बहनों/ हमारे पूर्वजों ने गौरे अंग्रेजों से संघर्ष के उपरांत उजड़े हुए गाँवों को बचाकर वास्तुविज्ञान के अनुसार बसाया ताकि हमें स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा मिले। जिससे हमारा शरीर एवं मन स्वस्थ रहेगा और हम मन एवं शरीर द्वारा अधिक कार्य करने पर भी गंभीर बीमारियों से दूर रहेंगे। अतः हमारा जीवन खुशाल उम्र लंबी होगी। दुर्भाग्य से कुछ काले अंग्रेजों के रूप में **नगर निगम गाज़ियाबाद** हमारे ग्रामीण आँचल के लिये काल बनकर शहर की गंदगी (कूड़ा) जबरन ग्रामीण क्षेत्र में डालने का कार्य कर रहा है। जिसके कारण से हमारा स्वच्छ वातावरण दूषित हो गया है और क्षेत्र में गंभीर बीमारी (कैंसर, दमा, पीलिया, टी0वी0) आदि पैदा हो गयी है और हमारे जीवन को निगल कर परिवारों को बर्बाद कर दिया। यदि भविष्य में यह स्थिति बनी रही तो हमारे गाँव समाप्त हो जायेंगे और युवा राष्ट्र का निर्माण भी सम्भव नहीं होगा और विकसित राष्ट्र का सपना तो दूर हमारा राष्ट्र पुनः गुलामी की और अग्रसर होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इससे मुक्ति पाने के लिये हम सभी क्षेत्रवासी एकजुट होकर कलयुगी (**नगर निगम गाज़ियाबाद**) के विरोध में संघर्ष करके ग्रामीण आँचल से दूर भगाये। यदि अभी भी हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी का जीवन सुरक्षित नहीं रह पायेगा। प्रतिदिन धरना स्थल पर चल रहे अखंड महायज्ञ में 31 आहुति प्रदान करके पर्यावरण को शुद्ध करने में अपना सहयोग प्रदान करें।

**क्रांतिकारी अभिवादन सहित।**

**कूड़ा हटाओ, जीवन बचाओ, गाँव बचाओ, देश बनाओ**

**"आंदोलन "**

(गाँव बचेगा तो राष्ट्र बनेगा)

विशाल ग्रामीण पंचायत

**31 दिसम्बर 2023 | समय: प्रातः 10:00 बजे, दिन .रविवार**

**पंचायत स्थल:- पाईप लाईन रोड नजदीक डम्पिंग ग्राउंड भिक्कनपुर, मुरादनगर**



**आयोजक:- डम्पिंग ग्राउंड हटाओ समिति पाईप लाईन रोड।**


**निवेदक:- विकास संघर्ष समिति, समस्त क्षेत्रवासी, सहयोगी पंचायत संगठन, देहात मोर्चा  
क्षेत्रीय युवा संगठन, आर्य समाज, पूर्व सैनिक मोर्चा।**

# गाजियाबाद नगर निगम

दिनांक :-.....

1. दिनांक 25.12.2023 को मैसर्स जिरोन इन्जी० प्रा०लि०, गाजियाबाद के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट मुरादनगर थाने में दर्ज करायी गयी थी। अतः सम्बन्धित फर्म को प्रथम सूचना रिपोर्ट वापस लेने हेतु विचार करने के लिये निर्देशित किया गया है।
2. भिक्कनपुर पाईप लाईन रोड पर वर्तमान में निजी फर्म मैसर्स जिरोन इन्जी० प्रा०लि० के द्वारा ठोस अपशिष्ट का एकत्रीकरण एवं प्रसंस्करण का कार्य सम्पादित किया जा रहा है। ग्रामवासियों से हुई वार्ता के कम में सम्बन्धित फर्म को तत्काल अन्यत्र भूमि चिन्हित करने हेतु निर्देशित किया गया है। तत्कम में फर्म द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त कार्य के लिये भूमि चिन्हित करने हेतु फर्म को 3-4 माह का समय चाहिए। तदोपरान्त फर्म द्वारा कार्य का स्थान परिवर्तन किया जाना सम्भव होगा। यहां यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में गाजियाबाद नगर निगम के पास अपने स्वयं के कब्जे में विवाद रहित 30-40 बीघा भूमि उपलब्ध नहीं है। निगम द्वारा भी भूमि को युद्ध स्तर पर तलाशा जा रहा है। अगर नगर निगम को भी भूमि की उपलब्धता हो जाती है तो उस अवस्था में नगर निगम द्वारा भी वर्तमान कार्य स्थल पर कार्य रोक कर नये स्थल/भूमि पर कार्य प्रारम्भ कर देगा।
3. वर्तमान में कार्य कर रही फर्म को ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण में और तेजी लाने हेतु अपनी मशीनों की संख्या को बढ़ाये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिससे कि आगामी 12 से 15 माह में उक्त स्थल पर ठोस अपशिष्ट को पूर्णरूप से निस्तारित किया जा सके।
4. नगर आयुक्त महोदय द्वारा विभागीय अधिकारियों को समय-समय पर उक्त साईट का निरीक्षण करके टूटी हुई रोड़, नाले की सफाई आदि समस्याओं को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

  
 ATUL SINGH  
 GERON ENGG. IUT LTD.  
 31/Dec/2023

संदर्भ संख्या : 40014023046259 , दिनांक - 10 Jan 2024 तक की स्थिति

## आवेदनकर्ता का विवरण :

## शिकायत संख्या:-

40014023046259

## आवेदक का नाम-

JAISHREE BANSAL

## विषय-

Crane operator working for M/s GEPL at Jagjeevanpur village, pipeline road are illegally cutting road side big alive green sheesham trees without any permit from forest department. CCTV has captured their illegal activity done on 05.12.2023 at 19:18 hrs. Some photos of big tree lying without life on ground is attached for your information. The CCTV footage can be taken from me by contacting at 8178560452. Please taken appropriate action against the culprit as per law.

## Department -

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

## Complaint Category -

## नियोजित तारीख-

05-01-2024

## शिकायत की स्थिति-

## Level -

जनपद स्तर

## Post -

प्रभागीय वन अधिकारी

## प्राप्त रिमाइंडर-

## प्राप्त फीडबैक -

दिनांक को फीडबैक:-

## फीडबैक की स्थिति -

## संलग्नक देखें -

Click here

**नोट-** अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है!

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	आदेश	आख्या देने वाले अधिकारी	आख्या दिनांक	आख्या	स्थिति	आपत्ति देखे	संलग्नक
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	06-12-2023		प्रभागीय वन अधिकारी- गाजियाबाद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	22-12-2023	शिकायती पत्र का निस्तारण कर दिया गया है, जांच रिपोर्ट संलग्न है। विवरण हेतु क्लिक करें...	निस्तारित		

12-05-2023 Tue 16:05:51



Camera 10

12-06-2023 Wed 15:48:14



Camera 10





vivo Y36

मक़ेदा, उत्तर प्रदेश 6 दिस 2023, 09:50





कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।

Phone-0120-2783617 Fax-0120-2783618 E-mail-dfogzb@gmail.com

पत्रांक: 3071/33-3

दिनांक गाजियाबाद दिसम्बर, 22, 2023.

जनसुनवाई संदर्भ सं० 40014023046259 दिनांक 06.12.2023

सुनने वाले/जांच अधिकारी का नाम	: श्री श्याम बिहारी,
पद नाम	: वन दरोगा।
मोबाईल नं०	: 9927171407
शिकायतकर्ता का नाम व पता	: श्री जयश्री बंसल, आर-4/37, राजनगर गाजियाबाद।
शिकायतकर्ता का मोबाईल नं०	: 9999805616
शिकायत का स्थल	: जगजीवनपुर पाईपलाईन भिकनपुर गाजियाबाद।
अधिकारी की आख्या	: जनसुनवाई, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उ०प्र० संन्दर्भ सं० 40014023046259 के क्रम में अवगत कराना है कि संबंधित स्थल की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी गाजियाबाद से कराई गयी। क्षेत्रीय वन अधिकारी गाजियाबाद ने अपने पत्रांक 492/33-1 दिनांक 16.12.2023 द्वारा सूचित किया है कि शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर अवगत कराया दिया गया है कि मौके की जांच के दौरान M/SGEPL जगजीवनपुर पाईपलाईन गाजियाबाद में एक शीशम व एक शहतूत के वृक्षों के पातन किया गया था। अपराधी जनरल मैनेजर भिकनपुर गाजियाबाद एवं कालू केन आपरेटर के विरुद्ध वृक्ष संरक्षण अधिनियम यथा संशोधित धारा-4/10 के अन्तर्गत रेंज एच-2 केस सं० 60/2023-24 दिनांक 15.12.2023 को एच-2 केस इजरा कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
आख्या संलग्नित करें	: आख्या संलग्न

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग,  
गाजियाबाद।